न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नगीना, जिला बिजनौर।
फौजदारी अपील संख्याः ***01/2017***
बीना देवी बनाम उ0प्र0सरकार आदि।

04.05.17

पत्रावली वास्ते सुनवाई पेश हुयी। पुकार कराई करायी, पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता व अपीलार्थी हाजिर आये। उभय पक्ष ने आज बहस के दौरान सहमति से मु0 **800/–रूपये प्रतिमाह** दिये जाने की शर्त पर मुकदमें को निस्तारित किये जाने का कथन किया। तद्नुसार उभय पक्ष की सहमति से मु0 **800/–रूपये प्रतिमाह** भरण–पोषण इस पत्रावली के निमित्त स्वीकार करते हुए पत्रावली का निस्तारण किया जाता है। प्रश्नगत धनराशि प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक देय होगी। तद्नुसार पत्रावली निस्तारित। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार वापिस भेजा जाये।

(लालचन्द्र गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नगीना, जिला बिजनौर।